



रीवा जिले के नईगढ़ी ब्लॉक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनाओं का आर्थिक अधोसंरचना पर प्रभाव

डॉ. अर्पणा मिश्रा

पी-एच.डी. (अर्थशास्त्र) : अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

विकासखण्ड नईगढ़ी में मनरेगा में कार्यरत मजदूरों के योजना व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया तो मजदूरों का कहना है कि पहले हम लोगों को दो वक्त रोटी जुटाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था किसी तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे आज इस योजना के चलने से हम लोगों की परेशानियाँ जरूर कुछ कम हुई थी गाँव में ही रोजगार मिल जाता है रोजगार के लिए शहरों में नहीं भटकना पड़ता सरकार की कई योजनाएँ हमारे गाँवों तक धीरे-धीरे अग्रसर हो रही हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना विकासखण्ड नईगढ़ी में 2006 से ही लागू है इस योजना को लागू होने से मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार आया जहाँ पहले 56 प्रतिशत लोग दयनीय स्थिति में थे वही आज दयनीय स्थिति घटकर 32 प्रतिशत रह गयी है आने वाले समय में इसका प्रतिशत काफी मात्रा में कम हो जायेगा। दूसरी तरफ 68 प्रतिशत मजदूर आज आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।

मूल शब्द : महात्मा गाँधी रोजगार गारण्टी योजना, ग्राम पंचायत, आर्थिक, अधोसंरचना।

प्रस्तावना

विकासखण्ड नईगढ़ी में कृषि मुख्य व्यवस्था यहाँ की जनता कृषि एवं मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस क्षेत्र में प्रकृति की वर्षा पर कृषि व्यवसाय आश्रित है। विकासखण्ड नईगढ़ी में यदि किसी वर्ष वर्षा न हो तो किसानों को कृषि करने हेतु पानी की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। सरकार द्वारा सिंचाई के लिए की गयी सुविधा जैसे ट्यूबवेल, वावली, पोखरे, कुआँ आदि की सुविधा 5 प्रतिशत लोगों तक ही उपलब्ध हो सकी है गर्मियों के समय में तो कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की विकराल समस्या हो जाती है। विकासखण्ड नईगढ़ी के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में जो गाँव पहाड़ के किनारे स्थित हैं वहाँ ऐसी समस्याएँ ज्यादातर देखने को मिलती हैं। विकासखण्ड में कृषि व्यवस्था आज भी अव्यवस्थित है किसानों के लिए अभी कई ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

- सिंचाई की सुविधा की कमी
- भूमि का समतलीकरण न होना
- कृषि उत्पादन यंत्रों में कमी
- कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था न होना
- अच्छे किस्म के कृषि बीज उपलब्ध न होना
- किसान परम्परागत कार्य को अपनाये हुए हैं तथा तकनीकी खेती का न होना।
- नये उन्नतशील खेती की व्यवस्था न होना।
- किसानों का प्रशिक्षित न होना।
- समय से खाद्य, दवा एवं बीज न उपलब्ध हो पाना।
- कृषि से सम्बन्धित सभी सरकारी सुविधाएँ न उपलब्ध हो पाना, आदि किसानों की समस्याएँ प्रमुख हैं, दूसरी ओर किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पाती।

सहकारी समितियों बिना पुराने ऋण की वापसी के नये ऋणों को देने के लिए तैयार नहीं होती ऐसी स्थिति में किसी भी प्राकृतिक आपदा तथा आकस्मिक आवश्यकता के समय कृषकों को स्थानीय साहूकारों की कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सरकारी समितियों

तथा बैंकों द्वारा आज भी किसानों को केवल उत्पादन कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है।

यहाँ आज भी 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर अश्रित हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि विभिन्न संस्कारों, अनुष्ठानों, जन्म, मृत्यु एवं विवाह आदि के अवसरों पर लिए गये साहूकारों से ऋण को अदा करना बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जो पैसा वापस करने के लिए इकट्ठे किये जाते हैं वे ब्याज में ही समाप्त हो जाता है, कुछ किसान मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण को अदा करना पड़ता है।

यदि किसान एवं मजदूर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो बैंकों द्वारा के. सी.सी. बनवाने के लिए 8 प्रतिशत व 10 प्रतिशत बैंक मैनेजर्स को डोनेशन देना पड़ता है इसलिए छोटे किसान ऋण नहीं ले पाते और अंत में साहूकारों की सहायता लेते हैं। सरकार की कुछ योजनाएँ ऐसी हैं जो लोगों को लाभान्वित कर रही हैं, रीवा जिले का सबसे पिछड़ा विकासखण्ड नईगढ़ी ही है, यहाँ शिक्षा का प्रभाव नाम मात्र ही है जिसके कारण उतने शिक्षित लोग नहीं हैं और न ही अपने अधिकारों के बारे में उनके अन्दर जागरूकता है महिलाओं को तो और कुछ भी पता नहीं है बस अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। साक्षरता 39.6 प्रतिशत है और पुरुषों की साक्षरता 54.7 प्रतिशत है। महिलाओं के अन्दर किसी प्रकार की जागरूकता नहीं है और न ही कोई प्रचार का माध्यम ही है जिससे रोजगार समाचार, पम्पलेट और न विकासखण्ड द्वारा किसी भी योजना का प्रचार किया जाता है। किसी योजना का प्रचार कैम्प लगाकर नाम मात्र के लिए विकासखण्ड में कर दिया जाता है।

समंको का संकलन

संमक किसी भी अध्ययन के निकाले गये निष्कर्षों के लिए आधार प्रदान करता है। समंको के मुख्यतः दो स्रोत हैं— पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत मुख्यतः निरीक्षण या अवलोकन, साक्षात्कर, अनुसूची व प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएँ एकत्र कि जाती हैं। यहाँ पर हमने अपने शोध प्रबन्ध

द्वितीयक तथ्य सामग्री का प्रयोग किया है, जो कि पत्र-पत्रिकाओं, वार्षिक प्रतिवेदन अखबारों शोध रिपोर्ट आदि से एकत्र किया गया है।

शोध क्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य का विवरण

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अध्ययन का चयनित विषय रोजगार के नये कार्यक्रम पर केन्द्रित है जिसका मूल्यांकन का कार्य अभी होने की प्रक्रिया में है। अतः विषय अध्ययन तथा समीक्षात्मक मूल्यांकन निरन्तरता की दिशा में है। मध्यप्रदेश राज्य में यह योजना विधान के अनुसार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना से अधिग्रहित एवं प्रतिस्थापित है, और पूरे प्रदेश में क्रियान्वित है, इस योजना द्वारा इतने परिणाम में field work हो गया है कि वह शोध का विषय बन गया है।¹⁻¹⁰

कृषकों में जागरूकता में कमी

परम्परागत किसान अत्यधिक रूढ़िवादी, अन्धविश्वासी, भाग्यवादी और अपनी स्थिति के प्रति निराशावादी थे उनकी यह धारणा थी की उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति स्वयं उनके भाग्य का परिणाम है जिसमें वे अपने प्रयासों से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और भाग्य पर आश्रित हो करके कृषि कार्य करते थे उनका मानना था कि वे कर्म करेगें फल मिले या न मिलें वो भाग्य पर छोड़ देते थे कृषकों के अन्दर इतनी जागरूकता नहीं थी कि कृषि को और अच्छे तरीके से करके उनमें आधुनिकीकरण के जरिए कुछ परिवर्तन करें नयी किस्मों की बीज का प्रयोग करें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करे, फसल की मात्रा के अनुसार खाद डालें। ये सभी कमियाँ किसानों में रहा करती थी इसी कारण किसानों में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब धीरे-धीरे ग्रामीण जनता में भी कुछ परिवर्तन आ रहा है, आज शिक्षा का प्रसार, नगरीयकरण तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए एक सामान्य कृषक भी अपने अधिकारों के प्रति पहले की अपेक्षा अब अधिक सजग हो गया है कृषकों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है उनके अन्दर आर्थिक व्यवस्था तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है।

विकासखण्ड नईगढ़ी पिछड़ा होने के नाते किसी भी प्रकार के कृषि वैज्ञानिक यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए नहीं आते और न ही किसानों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना तो जरूर है कि कृषि यंत्रों का प्रचार प्रसार होने के कारण आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग तेजी से हो रहा है, इस विकासखण्ड के किसान आधुनिक खेती करने के लिए काफी उत्साहित है। सरकार द्वारा विकासखण्ड के माध्यम से कृषि यंत्र कम दाम पर दिये जाते हैं, और बीज की सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाता है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग सरकार की ओर से किसानों को विकासखण्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है ये सुविधाएँ सभी किसानों को नहीं पहुँच पा रही है। आज भी लघु किसानों को नहीं पहुँच पा रही है। जिसके कारण लघु किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वैज्ञानिक कृषि उपकरण

विकासखण्ड नईगढ़ी इतना पिछड़ा है कि यहाँ कृषि उपकरण आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हो पाते परन्तु कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण का होना अति आवश्यक है क्योंकि बिना कृषि उपकरणों के किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता जिस कृषि कार्य को किसान 10 दिन में पूरा कर लेता है। उसी कार्य को

किसान बिना कृषि यंत्र के महीनों तक काम करता है समय का अभाव हो जाने के कारण वे कृषि कार्य को सही समय पर नहीं कर पाते इनका मानना है कि वर्षा होने पर समय पर अपने कृषि कार्य को नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ कृषि यंत्रों की कमी है।

इस समस्या को दूर करने के उपाय तथा वर्तमान युग में निर्धनता को दूर करने के लिए कृषि व्यवस्था में सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुधार कई क्षेत्रों में तभी सम्भव है जब भूमि में सुधार, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार वैज्ञानिक कृषि के लिए प्रोत्साहन तथा सामुदायिक कृषि प्रशिक्षण, कृषि की नवीन प्रविधियों की सुविधाएँ मुहैया कराना, गाँवों में भूमिहीन श्रमिकों को भूमि उपलब्ध कराना, श्रमिकों को कुटीर उद्योग धन्धों की सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा किसानों को कृषि करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएँ देकर ग्रामीण कृषि में सुधार किया जा सकता है।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना भी आवश्यक है, इस सम्बन्ध में ग्रामीण शिक्षा का विस्तार करना अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा क्योंकि ऐसी स्थिति के माध्यम से कुशल व्यक्तियों द्वारा आधुनिक कृषि व्यवस्था आसानी से ग्रहण कराया जा सकता है। विकासखण्ड में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के द्वारा किसानों के खेतों को समतल कराया जा रहा है और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे कई कार्य हैं जो मनरेगा योजना द्वारा कराया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र के ग्रामीणों के कृषि व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है।


मजदूरों की आर्थिक स्थिति

विकासखण्ड नईगढ़ी में अभी तक कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ है यहाँ की जनता कृषि एवं मजदूरी पर पूर्ण रूप से आश्रित है अपना अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति इस व्यवस्था के अन्तर्गत करता है चाहे वह लघु सीमान्त किसान एवं मजदूर हो या भूमिहीन मजदूर हो वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करके अपनी व्यवस्था किसी प्रकार से कर पाते हैं। इस महगाई के दौर में कितना कठिन कार्य है, प्रकृति की गोद में पलती यहाँ की जनता अभी प्रकृति पर आश्रित है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर नहीं है। प्रकृति हमेशा लोगों पर मेहरवान नहीं होती यहाँ की जनता की स्थिति देखा जाय तों ऐसा लगता है कि मानव विकास की शैशवा अवस्था है। यहाँ किसी भी प्रकार का विकास देखने को नहीं मिलता चाहे वह पानी की सुविधा हो या बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो शिक्षा की सुविधा हो, रोजगार की सुविधा हो सभी सुविधाएँ अभी प्राथमिक स्तर पर चल रही हैं और कुछ सुविधाएँ अभी तो शुरू ही नहीं हुई हैं।

मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की आर्थिक स्थिति इस योजना के आरम्भ होने से पहले दैविय स्थिति एवं आत्म-निर्भर स्थिति क्या थी सारणी द्वारा स्पष्ट किया जावेगा। और मनरेगा योजना लागू होने के बाद लोगों की स्थिति कैसी है, उसे भी सारणी द्वारा दर्शाया जावेगा।

सारणी 1 : मनरेगा प्रारम्भ के पूर्व की स्थिति

विवरण	उत्तर दाता	प्रतिशत
अ. दयनीय	280	56
ब. आत्मनिर्भर	220	44
योग	500	100




आरेख क्र. 1

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में कार्यरत मजदूरों के साक्षात्कार से स्पष्ट होता है कि मनरेगा योजना लागू

होने से पहले 56 प्रतिशत लोगों की स्थिति दयनीय थी और इसमें वे मजदूर सम्मिलित थे जो गरीब थे, भूमिहीन थे जिनके पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं थी ये हमेशा जमींदारों एवं साहूकारों के दया पात्र बनके ही रह जाते थे इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और न ही गाँव छोड़कर बाहर कार्य करने के लिए जा सकते थे। क्योंकि इनके बाल बच्चे परिवार जमींदारों की जमीन में बसे हुए रहते थे धीरे धीरे सरकारी कानून से गरीबों की काफी सहायता मिली। वही पर 44 प्रतिशत लोगों का मानना है कि हम लोग पहले से ही आत्मनिर्भर थे इसमें ऐसे लोग सम्मिलित हैं जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन थी जमींदार, साहूकारों से अलग हटकर आत्मनिर्भर होकर कार्य करते थे। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू होने से मजदूरों के आत्मनिर्भरता पर प्रभाव पड़ा। मनरेगा लागू होने के बाद की स्थिति—

सारणी 2 : मनरेगा प्रारम्भ के बाद की स्थिति

विवरण	उत्तर दाता	प्रतिशत
अ. दयनीय	160	32
ब. आत्म निर्भर	340	68
योग	500	100



आरेख क्र. 2

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना विकासखण्ड नईगढ़ी में 2006 से ही लागू है। इस योजना के लागू होने के पहले मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की स्थिति पहले ही सारणी में दर्शाया गया है। इस योजना को लागू हुए 5 वर्ष हो गया है इस सारणी से स्पष्ट होता है कि मनरेगा योजना लागू होने के बाद मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन आया। दयनीय स्थिति का प्रतिशत कम हुआ और आत्म निर्भरता का प्रतिशत बढ़ा है। मनरेगा योजना से लोगों को गावों में रोजगार मिलने लगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। मनरेगा में कार्यरत मजदूरों से मैंने साक्षात्कार किया तो आज भी 32 प्रतिशत लोग दयनीय स्थिति में है और 68 प्रतिशत लोग आत्मनिर्भर हो कर जीवनयापन कर रहे है।

अतः उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि मनरेगा योजना द्वारा

गरीब ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति मजबूती प्रदान हो रही है।

निष्कर्ष:

मनरेगा योजना लागू होने से पहले विकासखण्ड नईगढ़ी में कार्यरत मजदूरों की क्या स्थिति थी इस बारे में मैंने जानना चाहा तो 56 प्रतिशत मजदूरों का कहना है कि हम लोगों की स्थिति दयनीय थी इसमें वो मजदूर सम्मिलित थे। जो गरीब थे भूमिहीन थे जिनके पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं थी हमेशा जमींदारों एवं साहूकारों के दया-पात्र ही बने रह जाते थे इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और न ही गाँव छोड़कर बाहर ही कार्य करने के लिए जा सकते थे क्योंकि इनके बाल-बच्चे परिवार जमींदारों के जमीन में ही बसे हुए होते थे धीरे-धीरे सरकारी कानूनों एवं योजनाओं से गरीबों को सभी प्रकार की सहायता मिलने लगी। वहीं पर 44

प्रतिशत लोगों का मानना है हम लोग पहले से ही आत्म-निर्भर थे इसमें ऐसे लोग सम्मिलित हैं जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन थी जमींदारों शाहूकारों से अलग हटकर आत्मनिर्भर होकर कार्य करते थे।

वर्तमान समय में उनकी स्थिति में बदलाव आया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना विकासखण्ड नईगढ़ी में 2006 से ही लागू है इस योजना को लागू होने से मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार आया जहाँ पहले 56 प्रतिशत लोग दयनीय स्थिति में थे वही आज दयनीय स्थिति घटकर 32 प्रतिशत रह गयी है आने वाले समय में इसका प्रतिशत काफी मात्रा में कम हो जायेगा। दूसरी तरफ 68 प्रतिशत मजदूर आज आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।

सन्दर्भ :

1. बट्टेल डी.एस.: सामाजिक अनुसन्धान, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा-1999.
2. श्रीवास्तव के.एन.: हवाट इज 'रूरल' रूरल इण्डिया (मार्च-अप्रैल 1961), पृ, 86
3. कुरुक्षेत्र जनवरी, 2010 : ग्रामीण भारत को समर्पित, पृ, 20-21
4. त्रिवेदी आर.एन. : रिसर्च मैथडोलॉजी, कालेज बुक डिपो, जयपुर-2000.
5. मुखर्जी रवीन्द्र नाथ एवं अग्रवाल : सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, विवेक प्रकाशन दिल्ली- 2002
6. रावत, हरिकृष्ण : समाजशास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली-2002
7. मल, पूरण : अस्पृश्यता एवं दलित चेतना, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर-1999
8. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका रूजिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय, 2010, 2011 जिला रीवा (म.प्र)
9. योजना आयोग 2009-2010 : सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
10. मनरेगा जिला कार्यालय रीवा : प्रकाशित अभिलेख एवं डाटा